फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट –थाना कमालगंज

दिनांक :- 10.10.2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 325/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/115(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया व बरामदगी के दौरान 01 अभियुक्त मान पुत्र मुन्ने निवासी गौसपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ द्वारा भागने के प्रयास के दौरान मुठभेड में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/115(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्तगण 1. दिलसाद उर्फ शिवलू 2. मान 3. बसर को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के दौरान अभियुक्त मान पुत्र मुन्ने द्वारा भागने के प्रयास के दौरान पुलिस मुठभेड में किया गया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड व बरामदगी के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. दिलसाद उर्फ शिवलू पुत्र अंसार निवासी ग्राम गौसपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ
2. मान पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम गौसपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ
3. बसर पुत्र शमीउद्दीन उर्फ कब्बाल निवासी ग्राम गौसपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

घटना का विवरण:- दिनांक 07.10.2025 को वादी श्री सद्दाम हुसैन पुत्र स्व0 मुकील हुसैन निवासी ग्राम गौसपुर थाना कमालगंज जिला फतेहगढ की तहरीर कि अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के परिजन पर पुराने मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने की बात को लेकर वादी व वादी के भाई के साथ गाली गलौज करना व जान से मारने की नीयत से अवैध असलहा से फायर करना जिससे वादी के भाई का बाल-बाल बचने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी । वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 07.10.2025 को मु0अ0सं0 325/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352 बीएनएस बनाम 01. मान 02. अरशद पुत्रगण मुन्ने 03. वसीम पुत्र शमीम 04. सलमान उर्फ गोगा पुत्र अनवार उर्फ कट्टू 05. दिलशाद उर्फ शिवलू पुत्र अंसार 06. महराज उर्फ शेखू पुत्र हसनूर 07. बसर पुत्र सिराजुद्दीन उर्फ कब्बाल व 7 से 8 व्यक्ति अज्ञात निवासीगण ग्राम गौसपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे धारा 115(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । दिनांक 10.10.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अमानाबाद चौराहे के बाग के पास से अभियुक्तगण 01. दिलसाद उर्फ शिवलू 02. मान पुत्र मुन्ने 03. बसर पुत्र शमीउद्दीन उर्फ कब्बाल को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त मान उपरोक्त की निशानदेही पर सम्बन्धित घटना मे प्रयुक्त तमंचा को बरामद करने के दौरान बताए हुए स्थान की ओर ले जा रहे थे कि जैसे ही क्रासिंग नं0 137, फतेहगढ कानपुर रोड से भोला नगला जाने वाले मार्ग पर मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर दूर स्थित आम के बाग के पास पहुंचे तो अभियुक्त मान उपरोक्त ने गाडी रोकने को कहा और गाडी से उतरते ही अचानक पुलिस को धक्का देकर भागा तथा भागकर पास में ही छुपा कर रखे गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में गोली चलाई जो की अभियुक्त के बाएं पैर में लगी, अभियुक्त मान उपरोक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी कमालगंज भेजा गया ।

अभियुक्त मान उपरोक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त मान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म से इकबाल करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मेरे परिवार के कुछ लोग जो मुम्बई मे रहते है उनका हमारे गांव के सलमान व बबलू पुत्रगण स्व0 मुकील से कहासुनी मारपीट मुम्बई मे हो गयी थी जिस सम्बन्ध मे विपक्षीगण द्वारा मेरे परिवार के लोगो के खिलाफ मुम्बई मे मुकदमा लिखवा दिया गया था। उक्त मुकदमें में दिनांक 07.10.2025 को हम लोगो द्वारा समझौते का दबाव बनाने के लिये प्रयास किया गया समझौता नहीं होने पर हम लोगों द्वारा विपक्षी पार्टी पर पथराव शुरू कर दिया, विपक्षीलोग मौके से भागकर किनारे हो गये उनके द्वारा भी बदले मे पथराव किया गया तब मेरे भाई अरशद ने अपने पास रखे तमंचे से विपक्षी सद्दाम व सलमान पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। जो तमंचा मैने छिपा दिया था जब पुलिस मुझे मेरे द्वारा छिपाये गये तमंचे को बरामद करने के लिये लेकर जा रही थी तो मैने भागने का प्रयास किया तथा उस तमंचे से मैने पुलिस पर फायर कर दिया तभी मुझे आप लोगों ने पकड लिया । साहब गलती हो गयी है माफ कर दो। शेष बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त दिलशाद व बशर उपरोक्त से पूछताछ का विवरण- अभियुक्त दिलशाद उर्फ शिवलू व बशर उपरोक्त ने मान उपरोक्त द्वारा दिये गये बयान का समर्थन करते हुए बताया मान ने जो बताया है वह सही है हम भी इसी बयान पर कायम है हम लोग दबाव बनाकर मुकदमे मे फैसला चाह रहे थे। इसी कारण सद्दाम आदि के द्वारा हमारी बाते न मानने पर विवाद बढ़ गया था । और हम लोगो ने पथराव तथा फायरिंग कर दी थी। हमसे गलती हो गयी है ।

अभियुक्त मान उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर व नाल में फंसा 01 खोखा कारतूस
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

अभियुक्त मान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1-मु0अ0सं0 293/17 धारा 452/323/504/506/336/308 भादवि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

2-मु0अ0सं0 295/17 धारा 147/148/336/504506/332/353/186 भादिव व 7 सी.एल.ए एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

3-मु0अ0सं0 456/17 धारा 2/3गुण्डा एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

4-मु0अ0सं0 202/18 धारा 323/504/506 भादिव थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

5-मु0अ0सं0 105/25 धारा 13जी एक्ट थाना कमालगंज

6- मु0अ0सं0 325/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/115(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

7- मु0अ0सं0 326/2025 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

8-मु0अ0सं0 149/2021 धारा 307/324/326/34/504/506भादवि व 4/25ए एक्ट थाना कुरार जनपद बिराहन मुम्बई सिटी प्रान्त महाराष्ट्र

9-मु0अ0सं0 36/17 धारा 324/323/504/506/34 भदावि थाना दिनदोषी जनपद बिराहन मुम्बई सिटी प्रान्त महाराष्ट्र

अभियुक्त दिलशाद उर्फ शिवलू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 183/2020 धारा 323/452/504 भादवि थाना कमालगंज

2-मु00सं0 77/25 धारा 115(2)/351(2)/351(3)/352बीएनएस थाना कमालगंज

3-मु0अ0सं0 250/2008 धारा 25/27 ए एक्ट थाना कमालगंज

4-मु0अ0सं0 147/10 धारा 110 जी थाना कमालगंज

5-मु0अ0सं0 247/2008 धारा 247/307 भादवि

6- मु0अ0सं0 325/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/115(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

अभियुक्त बसर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 325/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/115(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री जगदीश प्रसाद
3. उ0नि0 श्री शिव कुमार
4. हे0का0 रामकुमार
5. का0 हिमान्शू

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- जनपद फतेहगढ़

दिनांक :-10.10.2025

जनपद फतेहगढ़ में अवैध रूप से आतिशबाजी के भंडारण व विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 04 अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 98 कार्टन आतिशबाजी बरामद की तथा 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

1.दिनांक 01.10.2025 को कोतवाली कायमगंज लगभग 150 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी बरामद की गयी, 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-239/25 धारा-5क/9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 09.10.2025 को थाना कादरीगेट पर 19 कार्टन आतिशबाजी बरामद तथा 02 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। बरमादगी के आधार पर मु0अ0सं0 319/25 धारा 05/9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम -1884 पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 10.10.2025 को थाना कादरीगेट पर 28 कार्टन आतिशबाजी बरामद तथा 01 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 321/25 धारा 05/9B(1)(b) विस्फोटक अधिनियम -1884 पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 10.10.2025 को कोतवाली फतेहगढ़ पर 11 कार्टन आतिशबाजी बरामद कि गयी तथा 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 269/25 धारा-5/9ख विस्फोटक अधि0 1884 पंजीकृत किया गया।

कोतवाली कायमगंज से गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1-अरशद अंसारी पत्रु रूकसार अंसारी निवासी ग्राम लालबाग थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

2- हिमांशु गुप्ता पत्रु ओमशिव गुप्ता निवासी लोकमन थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

थाना कादरीगेट से गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.अभिषेक गुप्ता पुत्र अमरीश गुप्ता निवासी खतराना थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

2.मो0 राशिद पुत्र खलील निवासी समधन थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

3.गौरव गुप्ता पुत्र स्व0 वेद प्रकाश गुप्ता निवासी 1/12 दाल मण्डी थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

कोतवाली फतेहगढ़ से गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. विजेन्द्र पाल पुत्र अमर सिंह निवासी अम्वरपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी

मीडिया सेल फतेहगढ़।

ANGELS IN KHAKI

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

मिशन शक्ति 5.0

थाना जहानगंज

थाना जहानगंज क्षेत्र से माँ के डांटने के कारण घर से गुस्सा होकर 01 बच्ची कहीं चली गई थी वादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.10.2025 को बच्ची की गुमशुदगी के संबंध में मु0अ0स0 169/25 धारा-137(2) बीएनएस पंजीकृत कर घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कारवाई कर थाना स्तर पर टीम गठित की गई तथा दिनांक 11.10.2025 को समय करीब 08 बजे सुबह 24 घंटे के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस की इस मानवीय, तत्पर और संवेदनशील कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। बच्ची के परिजनों सहित वहां उपस्थित लोगों ने पुलिस टीम की संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

मीडिया सेल फतेहगढ़

मिशन शक्ति 5.0

क्षेत्राधिकारी - मोहम्मदाबाद

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

मिशन शक्ति 5.0

कोतवाली-फतेहगढ

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

कादरीगेट

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

1090 | 181 | 1076 | 112 | 1098 | 102 | 108

थाना राजेपुर

मिशन शक्ति 5.0

अमृतपुर

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

मिशन शक्ति 5.0 थाना-कम्पिल

1090
Women Power Line

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090
181 महिला हेल्पलाइन
1076
112
1098
102 स्वास्थ्य सेवा
108

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY
SAFE CITY

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मिशन शक्ति

नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र

1090 | 181 | 1076 | 112 | 1098 | 102 | 108

कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0

कलेक्ट्रेट

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला थाना

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

#MissionShakti5 के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ के निर्देशन में पुलिस लाइन ग्राउन्ड फतेहगढ से 'RUN FOR EMPOWERMENT' रैली आयोजित की गई जिसमे स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए दौड़ लगाई।हर कदम—एक संकल्प, हर साँस—एक शक्ति।